UPPG010048472018

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (E.C. Act)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ ।
पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे, (एच०जे०एस०)J.O.CODE-U.P.1713

सत्र परीक्षण संख्या–83/2018

राज्य उ०प्र० ----- अभियोगी

बनाम

मो. वाहिद सुत स्व. शौकत अली निवासी ग्राम मंदाह, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

---प्रार्थी/अभियुक्त

राज्य बनाम मो. वाहिद,
मु०अ०सं०: 375/2015,
धाराः 135 भारतीय विद्युत अधिनियम
थानाः कंधई, जिला–प्रतापगढ़।

निर्णय

1. थाना–कंधई, जनपद–प्रतापगढ़, की पुलिस द्वारा अभियुक्त **मो. वाहिद** के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि दिनांक 19.12.2015 को समय अदम तहरीर बहद स्थान मन्दाह, थाना कंधई, प्रतापगढ़ अधोहस्ताक्षरकर्ता अपने उपकेंद्र चिलबिला के अंतर्गत सघन काबिंग अभियान के अंतर्गत विद्युत चोरी रोकने हेतु ग्राम मन्दाह में निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता मो. वाहिद सुत स्व. शौकत अली निवासी ग्राम मंदाह, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ के परिसर को चेक किया गया तो बिजली के खम्भे से उनके परिसर तक केबिल लगाया पाया गया। मौके पर विद्युत संयोजन प्रपत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सका।

3. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया, उसके विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–135 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने अपराध करने से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

4. अभियोजन की तरफ से साक्षी पी.डब्ल्यू–1 अजय मिश्रा पटल सहायक/पैरोकार विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़ ने सशपथ बयान किया कि कार्यालय अधिशासी विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़ के पत्रांक सं. 3542 दिनांक 07.04.2026 मु.अ.सं. 375/2015 के संबंध में अवगत कराया गया कि अभियुक्त मो. वाहिद सुत स्व. शौकत अली निवासी ग्राम मंदाह, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध विद्युत चोरी के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी मो. वाहिद द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए विभागीय नियमानुसार निर्धारित प्रशम्मन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण शुल्क 16168 दिनांक 15.02.2018 को जमा कर दिया गया है तथा प्रकरण निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है। जिस पर अधिशाषी अभियन्ता रामाश्रय प्रसाद चौरसिया के हस्ताक्षर हैं। जिसका मिलान मेरे द्वारा विभागीय अभिलेखों से किया गया जो सही पाया गया। जिस पर **प्रदर्श क–01** डाला गया।

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.03 16:00:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का पृष्ठांकन किया गया है।

5ए. अभियोजन का साक्ष्य समाप्त कर,अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि रंजिशन झूंठा फंसाया गया है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6ए. अभियुक्त द्वारा मौखिक सफाई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। कार्यालय अधिशासी विद्युत वितरण खण्ड प्रतापगढ़ के पत्रांक सं. 3542 दिनांक 07.04.2026 मु.अ.सं. 375/2015 के संबंध में अवगत कराया गया कि अभियुक्त मो. वाहिद सुत स्व. शौकत अली निवासी ग्राम मंदाह, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध विद्युत चोरी के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी मो. वाहिद द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए विभागीय नियमानुसार निर्धारित प्रशम्मन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण शुल्क 16168 दिनांक 15.02.2018 को जमा कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा विधि अनुरूप अवशेष बकाया धनराशि मय शमन शुक्ल अदा कर दिया गया है अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है। उपरोक्त अभिलोखों को सम्बन्धित पी0 डब्लू0 1 द्वारा प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है।

7. समन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही धारा-152 विद्युत अधिनियम के अनुसार द०प्र०सं० की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्त के समतुल्य समझा जायेगा।

8. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त **मो. वाहिद** को धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

9. अभियुक्त **मो. वाहिद** को सत्र परीक्षण वाद संख्या-83/2018, मु०अ०सं०: 375/2015, धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना कंधई, जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. प्रश्नगत मामले में यदि कोई माल मुकदमाती है तो माल मुकदमाती मियाद अपील राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाए, जिसे राज्य सरकार विधिनुसार निस्तारित करे।

11. प्रश्नगत मामले में संबंधित विभाग का यदि कोई विद्युत देय/बकाया है तो संबंधित विभाग नियमानुसार देय/बकाया धनराशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। इस निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

12. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अन्तर्गत धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में **बीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो प्रतिभू अविलम्ब दाखिल करें, जिनकी वैधता मियाद अपील अथवा अपील दाखिल करने तक प्रभावी रहेगी।

दिनांकः 03.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)
प्रतापगढ़।

13. आज मेरे द्वारा उपरोक्त निर्णय एवं आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 03.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)
प्रतापगढ़।